न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 90/2021

1 द्वारपाल सिंह उम्र 64 साल पुत्र श्री मेघसिंह
2 मदनसिंह (फौत) पुत्र गंगासिंह
2/1 शेरसिंह पुत्र मदनसिंह
2/2 लालसिंह पुत्र मदनसिंह
2/3 सांगल कंवर पत्नी मदनसिंह
3 गणपतसिंह उम्र 66 साल पुत्र श्री गंगासिंह
4 गणेशसिंह उम्र 57 साल पुत्र श्री गंगासिंह
5 राजेन्द्र सिंह उम्र 45 साल पुत्र श्री दीपसिंह
6 जितेन्द्र सिंह उम्र 32 साल पुत्र दीपसिंह
7 उम्मेद कंवर उम्र 64 साल बेवा दीपसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज.
।

अपीलांटस

बनाम

1 भवानी सिंह पुत्र करण सिंह
2 रूगनाथ सिंह पुत्र करण सिंह
3 नाहर सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
4 भंवर कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह
5 वहादुर सिंह पुत्र बालसिंह
6 भीमसिंह पुत्र बालसिंह
7 रसाल कंवर बेवा बालसिंह
8 रघुनाथ सिंह पुत्र नोपसिंह
9 जेठूसिंह पुत्र नोपसिंह (फौत)
9/1 अमर सिंह पुत्र जेठूसिंह
9/2 नरपत सिंह पुत्र जेठूसिंह
9/3 मोहन सिंह पुत्र जेठूसिंह
9/4 विकम सिंह पुत्र जेठूसिंह

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

9/5 महिपाल सिंह पुत्र जेठूसिह
9/6 बन्नेसिंह पुत्र जेठूसिंह
9/7 सम्मान कंवर बेवा जेठूसिंह
10 दुर्गा कंवर पत्नी हनुमान सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर।
11 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।
12 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय आदेश दिनांक 10.11.2021
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर बउनवानी
द्वारपाल सिंह बनाम भवानी सिंह मु.नं. 41/2019
पीठासीन अधिकारी मुनेश कुमार आरएएस
अपील अ. धारा 225 आर.टी.एक्ट

अपील संख्या 03/2022

1 भवानी सिंह उम्र 69 साल पुत्र करण सिंह
2 रूघनाथ सिंह उम्र 45 साल पुत्र करण सिंह
3 नाहर सिंह उम्र 60 साल पुत्र प्रहलाद सिंह
4 भंवर कंवर उम्र 83 साल पत्नी प्रहलाद सिंह
5 बहादुर सिंह उम्र 55 साल पुत्र बालसिंह
6 भीमसिंह उम्र 49 साल पुत्र बालसिंह
7 रसाल कंवर उम्र 80 साल बेवा बालसिंह
8 दुर्गा कंवर उम्र 53 साल पत्नी हनुमान सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बनाम

1 द्वारपाल सिंह उम्र 64 साल पुत्र श्री मेघसिंह
2 मदनसिंह (फौत) पुत्र गंगासिंह
2/1 शेरसिंह उम्र 32 साल पुत्र मदनसिंह
2/2 लालसिंह उम्र 25 साल पुत्र मदनसिंह
2/3 सांगल कंवर उम्र 65 साल पत्नी मदनसिंह
2/4 संगीता कंवर उम्र 35 साल पुत्री मदनसिंह
2/5 सुरेश कंवर उम्र 28 साल पुत्री मदनसिंह
2/6 प्रकाश कंवर उम्र 24 साल पुत्री मदनसिंह
3 गणपतसिंह उम्र 66 साल पुत्र श्री गंगासिंह
4 गणेशसिंह उम्र 57 साल पुत्र श्री गंगासिंह
5 राजेन्द्र सिंह उम्र 45 साल पुत्र श्री दीपसिंह
6 जितेन्द्र सिंह उम्र 32 साल पुत्र दीपसिंह
7 उम्मेद कंवर उम्र 64 साल बेवा दीपसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर राज.
।
8 रघुनाथ सिंह पुत्र नोपसिंह
9 जेठूसिंह पुत्र नोपसिंह (फौत)
9/1 अमर सिंह उम्र 53 साल पुत्र जेठूसिंह
9/2 नरपत सिंह उम्र 47 साल पुत्र जेठूसिंह
9/3 मोहन सिंह उम्र 40 साल पुत्र जेठूसिंह
9/4 विक्रम सिंह उम्र 38 साल पुत्र जेठूसिंह
9/5 महिपाल सिंह उम्र 30 साल पुत्र जेठूसिह
9/6 बन्नेसिंह उम्र 36 साल पुत्र जेठूसिंह
9/7 सम्मान कंवर उम्र 89 साल बेवा जेठूसिंह
9/8 सोहन कंवर उम्र 49 साल पुत्री जेठूसिंह
9/9 राजू कंवर उम्र 45 साल पुत्री जेठूसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर।
10 उप पंजीयक सीकर तहसील व जिला सीकर।
11 तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट विरूद्ध निर्णय/
आदेश दिनांक 10.11.2021 न्यायालय सहायक कलेक्टर
(द्वितीय) सीकर पीठासीन अधिकारी श्रीमती मुनेश कुमारी
आरएएस प्रार्थना पत्र संख्या 41/2019 बउनवानी द्वारपालसिंह
आदि बनाम भवानीसिंह आदि आवेदन अ. धारा 212 राज.
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

1. श्री अजीत सिंह मील, अधिवक्ता
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता

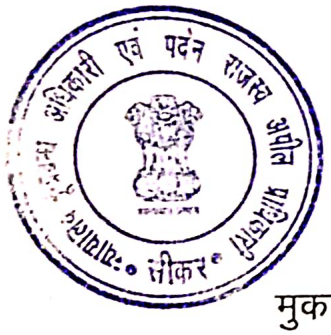

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 41/2019 में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अ. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 552 के नये खसरा नम्बर 2297 व 2298 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपीले प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अजीत सिंह मील ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के बाद भी मौके की यथास्थिति के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों का कोई विवेचन किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो खिलाफ पत्रावली व विरूद्ध कानून होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष मौके की स्थिति के संबंध में छेड़खानी करने की रेस्पोडेन्टस द्वारा कोशिश करने व मौके की स्थिति को खुर्द बुर्द करने की कोशिश के तथ्य सामने होने के बावजूद उन पर गौर नही ंकर विधिक त्रुटि की है विधि अनुसार विचारण न्यायालय को मौके की यथास्थिति का आदेश भी प्रदान करना चाहिए था। अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलेगा। विचारण न्यायालय द्वारा मामले में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अपीलान्ट के पक्ष में मानने के बाजवूद मात्र रिकार्ड की यथास्थिति की हद तक ही आदेश दिया गया है जबकि वाद बाहुलता को रोकने व मौके की स्थिति को वर्तमान स्थिति में कायम रखने हेतु विधि अनुसार मौके की यथास्थिति का भी आदेश दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस द्वारा मौके की यथास्थिति में चेन्ज करने की कोशिश रेस्पोडेन्ट द्वारा करने की कोशिश की बाद अपीलान्टस द्वारा आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश करने व मौके की यथास्थिति की मांग के आवेदन को खारिज कर विधिक गलती की है विधि अनुसार विचारण न्यायालय को उक्त आवेदन व मूल आवेदन 212 आरटीएक्ट में दिये तथ्यों पर भी कोई गौर नही ंकर विधिक गलती की है इसलिए विधि अनुसार मौके की यथास्थिति का आदेश दिया जाना आवश्यक है। वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 9 की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील स्वीकार कर मौके की यथास्थिति का स्थगन भी जारी किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रभातीलाल ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को निर्णित करने के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं किया जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन को निस्तारित करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रतिपादित सिद्धान्तों का विवेचन करके अलग से निर्णय लिखा जाना होता है परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तीनों सिद्धान्तों का विवेचन किये बिना ही पत्रावली की आदेशिका में ही अंतिम निर्णय पारित कर दिया एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निर्णय पारित कर दिया। वादग्रस्त कृषि भूमियों के किसी भी भाग पर रेस्पोडेन्ट का ना तो हक अधिकार है ना ही उनका किसी भू–भाग पर कब्जा है ना ही रेस्पोडेन्टस इन कृषि भूमियों के रिकार्डेड खातेदार है इसके विपरित अपीलान्टस का अपने अपने हिस्सेनुसार निरन्तर कब्जा है व निरन्तर खातेदारी है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "रिकार्डेड काबिज खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती।" फिर भी विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया जिसे अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थी जिससे 'प्रथम दृष्टया' यह प्रमाणित हो कि 'वादग्रस्त कृषि भूमियों से रेस्पोडेन्टस अथवा उनके पूर्वजों का कभी कोई संबंध अथवा सरोकार रहा हो'। फिर भी विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया जो कि विधि एवं तथ्य की भुल होने के कारण निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय ने विवादित आराजी का पैत्रिक होना या ना होना साक्ष्य का विषय बताकर मूलवाद में गुणवगुण पर निर्धारित किया जाने का निष्कर्ष देकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया एवं वाद बाहुल्यता बढ़ने का निष्कर्ष भी आरबीट्रेरी अंकित कर दिया जबकि विधि कायह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मौखिक साक्ष्य पर दस्तावेजी साक्ष्य ओवर राईटिंग इफेक्ट रखती है एवं रेस्पोडेन्ट ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में बनता हो, ना ही सुविधा का संतुलन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 के पक्ष में था ना ही अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 7 को हो रही थी ना ही इन बिन्दूओं का विवेचन हुआ इसलिए विचाराधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अ.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 552 के नये खसरा नम्बर 2297 व 2298 वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण द्वारपाल सिंह आदि की ओर से विवादित भूमि पैत्रिक होना कथन कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। इसके विपरित अप्रार्थीगण भवानी सिंह वगै. की ओर से विवादित भूमि पैत्रिक नहीं होकर अप्रार्थीगण के पूर्वज को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ प्राप्त होना कथित किया गया है।

विवादित भूमि पैत्रिक है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत गुणावगुण पर होना शेष है। मूलवाद के निर्णय से पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने ताफैसला वाद विवादित भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर